

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन  
विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

## हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015

### खण्डों का क्रम

#### खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति।
4. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन।
5. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण।
6. अनुज्ञप्ति का वापस किया जाना।
7. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना।
8. अपील।
9. पुनरीक्षण।
10. पौध सामग्री का प्रजनन के लिए उपयोग किया जाना।
11. अभिलेख और इसका निरीक्षण।
12. पौधों और वृक्षों को नाशीकीटों और रोगों से मुक्त रखा जाना।
13. पौधशालाओं का निरीक्षण।
14. पैक करना और उन पर लेबल लगाना।
15. रजिस्टर का अनुरक्षण।
16. विक्रय के लिए प्रजनित की जाने वाली किस्में।
17. राज्य सरकार की फल पौधों को राज्य में लाने और बाहर ले जाने को प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने की शक्ति।
18. शास्तियां।
19. अपराधों का संज्ञान।
20. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक होना।
21. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण।
22. नियम बनाने की शक्ति।
23. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
24. अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं।
25. निरसन और व्यावृत्तियाँ।

## हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में फल पौधशालाओं (साँकुर शाखा बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला सहित) का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए विधि समेकित करने और पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ।
- 5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) "अपील प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
  - 10 (ख) "साँकुर शाखा बैंक" से पौधशाला में और वृद्धि करने हेतु कलिका युक्त टहनी या किसी अन्य प्रजनक लेने के लिए अनुरक्षित, चिन्हित किए गए प्रजनन संतति वृक्ष और फलदार वृक्ष अभिप्रेत हैं;

- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) धारा 10, 13 और 16 के प्रयोजन के लिए "पदाभिहित अभिकरण" से डॉ० यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन अभिप्रेत है; 5
- (ङ) "निदेशक" से निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (च) "कठोरीकृत" से बाह्य परिस्थितियों के लिए अनुकूल ऊतक संवर्धन जनित पौधे अभिप्रेत हैं;
- (छ) "कृषक की किस्म" से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जिसे कृषक द्वारा अपने खेत में उगाया और विकसित किया गया है; 10
- (ज) "फल पौधशाला" से साँकुर शाखा बैंक या प्रजनन इकाई अथवा ऊतक संवर्धन इकाई अभिप्रेत है जहां पौधे नियमित रूप से प्रतिरोपण के लिए प्रजनित और विक्रीत किए जाते हैं; 15
- (झ) "निरीक्षण अधिकारी" से फल पौधशालाओं के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ञ) "अधिसूचना" से राज्य सरकार द्वारा जारी और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; 20
- (ट) "पौधशाला पालक (नर्सरीमैन)" से फल पौधशाला से पौध सामग्री के उत्पादन और विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है;

- (ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ड) "पौध सामग्री" या "प्रजनक" से पौधे के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोई प्रजनन सामग्री अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत साँकुर शाखा या कलिका युक्त टहनी, मूलवृन्त, कलमें और बीज आदि भी हैं;
- (ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ण) "मूलवृन्त" से औद्योगिक पौधा या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिस पर किसी औद्योगिक पौधे का साँकुर या कलम लगाई गई है;
- (त) "कलिका युक्त टहनी" या "साँकुर शाखा" से पौधे का वह भाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मूलवृन्त या वृक्ष पर कलम या साँकुर लगाने के लिए किया जाता है;
- (थ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (द) "ऊतक संवर्धन" से प्रयोगशाला में संवर्धन के माध्यम की अपुतित परिस्थितियों में पौधों के भागों से समरूप कृन्तकों का प्रजनन अभिप्रेत है।

3. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसकी अपनी फल पौधशाला है, सक्षम प्राधिकारी के पास स्वयं को या अपनी फर्म को रजिस्ट्रीकृत करवाए बिना और विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना पौधशाला पौधों या पौध सामग्री का उत्पादन और विक्रय नहीं करेगा।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति के पास राज्य के भीतर विभिन्न नगरों या गांवों में एक से अधिक साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला है, वहाँ उसे प्रत्येक ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला की बाबत पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) साँकुर शाखा बैंक और फल पौधशालाओं को, चाहे परम्परागत हो या ऊतक संवर्धन जनित, सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा और विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।

(4) कोई भी रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्तिधारी फल पौधशाला रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्तिधारी साँकुर शाखा बैंकों से ली गई पौध सामग्री का प्रयोग करने के सिवाय फल की फसलों का प्रजनन नहीं करेगा।

अनुज्ञप्ति  
प्रदान करने  
या उसका  
नवीकरण  
करने के लिए  
आवेदन।

4. (1) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में किया जाएगा।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जैसे विहित किए जाएं, के अधीन यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि—

(क) फल पौधशाला, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है फल पौधों का उचित प्रजनन करने के लिए उपयुक्त है;

(ख) आवेदक के पास ऐसी फल पौधशाला या कोई ऊतक संवर्धन जनित कठोरीकृत पौध सामग्री का संचालन करने या स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और प्रसुविधाएं हैं;

(ग) आवेदक, इस बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी अन्य शर्त को पूरा करता है; और

(घ) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए विहित फीस संदत्त कर दी है और विहित प्रतिभूति, यदि कोई हो, भी दे दी है।

तो वह अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तों और इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को साँकुर शाखा बैंक और या फल पौधशाला संचालित करने या स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका समय-समय पर ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के परिपूर्ण करने पर, जैसी विहित की जाएं, नवीकरण किया जा सकेगा।

5 (4) यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन, किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ऐसे इन्कार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आदेश की एक प्रति उसे संसूचित करेगा।

10 5. (1) सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन प्रदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा, यदि— अनुज्ञप्ति का  
निलम्बन या  
रद्दकरण।

(क) अनुज्ञप्तिधारी, न्यायनिर्णीत दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी पूर्णतः या भागतः साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला पर उसके नियन्त्रण से अलग हो गया है; या

15 (ग) अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला का संचालन या कब्जा नहीं रहा है; या

(घ) ऐसे प्राधिकारी की राय में, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला के संचालन या कब्जे के योग्य नहीं है; या

20 (ङ) अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(च) अनुज्ञप्तिधारी ने सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अपनी अनुज्ञप्ति या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने के लिए

अपेक्षित रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेख को अभ्यर्पित करने या प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को उन आधारों के सम्बन्ध में सूचित करेगा जिन पर उसके द्वारा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है और वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

5

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जाएगी।

10

अनुज्ञप्ति का वापस किया जाना।

6. (1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के अवसान पर या इसके निलम्बित अथवा रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी को वापस कर देगा :

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, ऐसे अवसान, निलम्बन या रद्दकरण के पश्चात् पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) को उसकी फल पौधशाला के परिसमापन (बन्द करने) के लिए ऐसा युक्तियुक्त समय, जैसा वह उचित समझे, प्रदान कर सकेगा।

15

(2) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) नियत अवधि के भीतर पौधशाला उत्पादन कार्य को बन्द नहीं करता है तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा फल पौधशाला में उत्पादित पौध सामग्री या किसी कठोरकृत ऊतक संवर्धन जनित पौध सामग्री को ऐसे पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) के खर्चे पर नष्ट कर दिया जाएगा और इस प्रकार उपगत व्यय को इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन शास्ति के अतिरिक्त भू-राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूल किया जाएगा।

20

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना।

7. यदि धारा 4 के अधीन प्रदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति गुम, नष्ट, विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा।

25



8. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण अपील करने से इन्कार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

5 परन्तु अपील प्राधिकारी विहित अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि समय के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

10 (3) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश, धारा 9 के उपबन्धों के अन्वये, अंतिम होगा।

9. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए किसी भी समय मामले का अभिलेख 15 मँगवा सकेगी और उसकी जाँच कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश कर सकेगी जैसे यह उचित समझे:

20 परन्तु राज्य सरकार ऐसे आदेश के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध धारा 8 के अधीन की गई अपील लम्बित है या यदि अपील नहीं की गई है तो उसके लिए नियत समय की परिसीमा के अवसान (समाप्ति) से पूर्व, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

(2) इस धारा के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा।

25 10. (1) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधशाला पालकों की फर्म कलिकायुक्त टहनी और मूलवृन्त की बाबत केवल ऐसी पौध सामग्री का उपयोग करेगी जिसकी पदाभिहित अभिकरण द्वारा समय-समय पर संस्तुति की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधशाला पालकों की फर्म अच्छी नस्ल के फल वृक्षों के साँकुर शाखा बैंक रखेगी और उनका अनुरक्षण करेगा/करेगी और उनकी संख्या प्रति किस्म पच्चीस वर्ष की न्यूनतम सीमा के अध्यक्षीन, प्रजनित पौधों का औचित्य सिद्ध करे।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधशाला पालकों की फर्म अपनी पौधशाला में निम्नलिखित सूचना दर्शाते हुए संकेतपट्ट प्रदर्शित करेगा/करेगी:-

- (i) पौधशाला का नाम;
- (ii) अनुज्ञापित संख्या; और
- (iii) विधिमान्यता अवधि।

अभिलेख और इसका निरीक्षण।

11. रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) पौध सामग्री के उद्भव या स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा और अभिलेख को निदेशक या निरीक्षण करने वाले अधिकारी की माँग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

पौधों और वृक्षों को नाशीकीटों और रोगों से मुक्त रखा जाना।

12. पौधशाला के पौधों और वृक्षों की पैदावार (उत्पादन) के लिए प्रयुक्त पौधशाला प्लॉट, ऊतक संवर्धन इकाई या साँकुर शाखा बैंक को ऐसे कीटों और रोगों, जो विहित किए जाएं, से मुक्त रखा जाएगा।

पौधशालाओं का निरीक्षण।

13. (1) निरीक्षण करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधशाला के पौधों की पैदावार (उत्पादन) के लिए प्रयुक्त पौधशाला प्लॉट, ऊतक संवर्धन इकाई या साँकुर शाखा बैंक को कीटों, नाशीकीटों और रोगों से मुक्त रखा गया है, पौधशालाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर सकेगा। वह पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) को संदिग्ध पौधों के नमूनों को नाशीकीटों की पहचान के लिए पदाभिहित अभिकरण को भेजे जाने के साथ-साथ विहित अवधि के भीतर संक्रमित या कीटाणुग्रस्त पौध सामग्री को हटाए जाने या नष्ट करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) लिखित में ऐसे निदेश की प्राप्ति पर, विहित अवधि के भीतर, संदिग्ध पौध सामग्री को नाशीकीटों की पहचान के लिए पदाभिहित अभिकरण को भेजेगा और ऐसे पौधों या वृक्षों को विहित अवधि के भीतर

हटाएगा या नष्ट करेगा, ऐसा न होने पर निरीक्षण करने वाला अधिकारी पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) के खर्चे पर उनकी पहचान करने के लिए उन्हें भिजवाएगा, हटाएगा और नष्ट करवाएगा तथा इस प्रकार उपगत व्यय को पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

5 (3) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) उपधारा (1) और (2) के अधीन निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करने में असफल रहता है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने के लिए भी दायी होगा।

10 14. (1) पौध सामग्री से युक्त पैकेज या डिब्बे (कन्टेनर) पर पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या उसकी मुहर सहित अंकित की जाएगी और विक्रीत प्रकार और किस्म को निर्दिष्ट करने हेतु सुभिन्नतया लेबल लगाया जाएगा। पैक करना और उन पर लेबल लगाना।

(2) यदि पैकेज या डिब्बे (कन्टेनर) में एक से अधिक प्रकार या किस्म के पौधे रखे गए हैं तो प्रत्येक पृथक पौधे पर लेबल लगाया जाएगा।

15 (3) लेबल पर मूलवृन्त और कलिकायुक्त टहनी का नाम लिखा जाएगा।

15 15. (1) प्रत्येक पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) विहित प्ररूप में एक रजिस्टर का रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें विक्रीत पौध सामग्री, क्रेता का नाम और पूरा पता अंतर्विष्ट होगा जिसे निरीक्षण करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा। रजिस्टर का अनुरक्षण।

20 (2) रजिस्टर को पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) द्वारा संव्यवहार की समाप्ति की तारीख से कम से कम दस वर्ष के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

16. (1) विक्रय के लिए प्रजनित किस्में विशुद्ध प्रकार की होंगी और वही होंगी जिन्हें उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश या पदाभिहित अभिकरण द्वारा संस्तुत या अनुमोदित किया गया हो। विक्रय के लिए प्रजनित की जाने वाली किस्में।

(2) यदि कतिपय किस्म या किस्में आयात की गई हैं या प्रजनन के लिए आशयित हैं तो ऐसी किस्मों की पूर्ण विशिष्टियाँ, प्रश्नगत किस्म का विक्रय करने से पूर्व निदेशक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को दिखाई जाएंगी और उस द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या कृषक, कृषक द्वारा उसकी अपनी सम्पदा पर विकसित की गई कृषक की किस्म की प्रजनन सामग्री का उपयोग नहीं करेगा, यदि इसे पदाभिहित अभिकरण द्वारा संस्तुत नहीं किया गया है और जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रार जनरल के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है। 5

(4) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा। 10

(5) विक्रेता, पौधशाला अनुज्ञप्ति की मूल प्रति जब भी निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा माँगी जाए उसे प्रस्तुत करेगा। संदेह की दशा में निरीक्षण करने वाला अधिकारी पौध सामग्री को अधिहृत (जब्त) कर सकेगा। 15

राज्य सरकार की फल पौधों को राज्य में लाने और बाहर ले जाने को प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने की शक्ति।

17. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, जैसी यह अधिरोपित करे, के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा-शुल्क सीमांत से अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाघोषित अज्ञात वंशावली या किसी संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोग या नाशीकीट से प्रभावित किसी पौध सामग्री का राज्य में लाना या राज्य से बाहर ले जाना अथवा राज्य में वहन करना प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी। 20

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने हेतु दायी होगा और निरीक्षण करने वाला अधिकारी संदिग्ध पौध सामग्री को अधिहृत (जब्त) और नष्ट कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने वाला अधिकारी पुलिस की सहायता ले सकेगा। 25

शास्तियाँ।

18. (1) जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है अथवा ऐसे किसी उपबन्ध या नियम के

उल्लंघन का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार, रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला यदि कोई व्यक्ति कम्पनी है तो कम्पनी, और अपराध के किए जाने के समय इसके कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है तो वहां वह भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

(4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को कतिपय अपराधों, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, का शमन करने हेतु इस शर्त के अध्वधीन, कि शमन की फीस तीस हजार रूपए से कम नहीं होगी, प्राधिकृत कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम इसके अन्तर्गत है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का  
संज्ञान।

19. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, सक्षम प्राधिकारी के या सक्षम प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के लिखित परिवाद (शिकायत) के सिवाय न लेगा।

5

(2) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

इस अधिनियम  
के अधीन  
शक्तियों का  
प्रयोग करने  
वाले व्यक्ति का  
लोक सेवक  
होना।

20. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

10

सद्भावपूर्वक  
कार्य करने  
वाले व्यक्तियों  
का संरक्षण।

21. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने  
की शक्ति।

22. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

15

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे:-

(क) इस अधिनियम द्वारा विहित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त मामले;

20

(ख) पौधशाला पालकों को प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्तियों में अन्तःस्थापित की जाने वाली शर्तें और ऐसे आवेदनों और अनुज्ञप्तियों का प्ररूप;

- (ग) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के प्रयोग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- 5 (घ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर, लेखा-पुस्तकें और अभिलेख तथा उनके अनुरक्षण की रीति और अवधि जिसमें और जिसके लिए वे अनुरक्षित किए जाएंगे;
- (ङ) परिस्थितियाँ, जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिभूति अपेक्षित होगी और उन द्वारा दी गई प्रतिभूति समपहृत की जा सकेगी और रीति, जिसमें ऐसे समपहरण के परिणामस्वरूप कोई भी देय राशि वसूल की जा सकेगी;
- 10 (च) साँकुर शाखा बैंक और/या फल-पौधशालाओं के रख-रखाव और विकास के लिए दक्षतापूर्ण संचालन;
- (छ) उस औद्योगिकी पौध सामग्री का पता लगाना, निरीक्षण करना, प्रमाणन, वहन या नष्ट करने का ढंग जिसके सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो या किसी अन्य वस्तु का जिसका इनके साथ सम्पर्क या सामीप्य हो और उन अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन जो इस निमित्त नियुक्त किए जाएं;
- 15 (ज) धारा 8 और 9 के अधीन अपीलों/पुनरीक्षणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उनकी परिसीमा;
- 20 (झ) उन नाशीकीटों, रोगों और कीटों को विहित (की पहचान करना) करना जिनसे पौधशाला की पौध सामग्री को मुक्त रखा जाना अपेक्षित है; और
- (ञ) पौधशालाओं और साँकुर शाखा बैंकों का निरीक्षण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब यह सत्र में हो, कुल चौहद दिन से अत्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें इसे रखा जाना है, या उपरोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शक्तियों का  
प्रत्यायोजन।

23. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी को, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

अनुज्ञप्ति के  
निलम्बन या  
रद्दकरण के  
लिए कोई  
प्रतिकर नहीं।


24. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द की जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी उसके लिए न तो किसी प्रतिकर का हकदार होगा और न ही उस द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए संदत्त किसी फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा।

निरसन और  
व्यावृत्तियों।

25. हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन (जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकृत की गई पौधशाला, जारी की गई अधिसूचना, दिए गए आदेश या निदेश और बनाए गए किसी नियम, प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई किसी कार्यवाही सहित) की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आदेश जारी



Vidya Stokes  
Hon'ble IPH & Horticulture/I. T. Minister  
Himachal Pradesh, Shimla - 171002



## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने के आशय से एक अधिनियम नामतः हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 अधिनियमित किया गया था। समय के साथ-साथ और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों की समुन्नति और नवीनतम तकनीकों, फल पौधशालाओं की उत्कृष्ट किस्मों और क्षेत्र में अन्य किस्मों के प्रचलन के फलस्वरूप यह पाया गया है कि विद्यमान अधिनियम अपना महत्व खो चुका है तथा राज्य में कृषकों को गुणवत्तायुक्त, स्वस्थ और रोगमुक्त पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने तथा फलों की उत्पादकता में भी वृद्धि करने के दृष्टिगत इसे व्यापक परिवर्तनों सहित पुनः अधिनियमित किया जाना अपेक्षित है। इसलिए विद्यमान अधिनियम को निरसित करने और निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक व्यापक विधान अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है:-

- (i) अधिनियम में फल पौधशाला के अतिरिक्त साँकुर शाखा बैंक, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करना;
- (ii) पौधशाला पालकों द्वारा अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना न करने की दशा में शास्तियों का उपबन्ध करना;
- (iii) प्रमाणन को अनिवार्य करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शास्तियां भी प्रस्तावित करना;
- (iv) पौध सामग्री के अनधिकृत आयात और निर्यात पर निगरानी रखना;
- (v) न्यायालय, जो अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करेगा, की बाबत विनिर्दिष्ट उपबन्ध करना;
- (vi) राज्य में फल उत्पादकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली रोगमुक्त पौध सामग्री का प्रदाय सुनिश्चित करना; और
- (vii) राज्य में पौधशाला के निरीक्षण और पौधशालाओं के गुणवत्ता विनियमन के अननुरूप पौधों तथा सामग्री के अधिहरण (जब्ती) और उन्हें नष्ट करने के लिए उपबन्ध करना।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विद्या स्टोक्स)

प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख.....2015

आधिप्रमाणित  
  
Vidya Stokes  
Hon'ble I.P.H. & Horticulture/I.T. Minister  
Himachal Pradesh, Shimla - 171002

## वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

---

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 22 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।


हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015

- हिमाचल प्रदेश में फल पौधशालाओं (सॉकुर शाखा बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला सहित) का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए विधि समेकित करने और पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

(विद्या स्टोक्स)

प्रभारी मन्त्री।

आधिपमार्णित



Vidya Stokes  
Hon'ble IPH & Horticulture/I.T. Minister  
Himachal Pradesh, Shimla - 171002

(डॉ० बलदेव सिंह)

सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख.....2015

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**BILL NO. 19 OF 2015**

**THE HIMACHAL PRADESH FRUIT NURSERIES REGISTRATION AND  
REGULATION BILL, 2015**

- 1. Short title and extent.
- 2. Definitions.
- 3. Appointment and powers of Registrar.
- 4. Appointment and powers of Inspectors.
- 5. Appointment and powers of Inspectors.
- 6. Appointment and powers of Inspectors.
- 7. Appointment and powers of Inspectors.
- 8. Appointment and powers of Inspectors.
- 9. Appointment and powers of Inspectors.
- 10. Appointment and powers of Inspectors.
- 11. Appointment and powers of Inspectors.
- 12. Appointment and powers of Inspectors.
- 13. Appointment and powers of Inspectors.
- 14. Appointment and powers of Inspectors.
- 15. Appointment and powers of Inspectors.
- 16. Appointment and powers of Inspectors.
- 17. Appointment and powers of Inspectors.
- 18. Appointment and powers of Inspectors.
- 19. Appointment and powers of Inspectors.
- 20. Appointment and powers of Inspectors.
- 21. Appointment and powers of Inspectors.
- 22. Appointment and powers of Inspectors.
- 23. Appointment and powers of Inspectors.
- 24. Appointment and powers of Inspectors.
- 25. Appointment and powers of Inspectors.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH FRUIT NURSERIES REGISTRATION AND  
REGULATION BILL, 2015**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Registration and licence.
4. Application for grant or renewal of licence.
5. Suspension or cancellation of licence.
6. Return of licence.
7. Issue of duplicate licence.
8. Appeal.
9. Revision.
10. Plant material to be utilized for propagation.
11. Record and its inspection.
12. Plants and trees to be kept free from pests and diseases.
13. Inspection of nurseries.
14. Packages and their labelling.
15. Maintenance of register.
16. Varieties to be propagated for sale.
17. Powers of State Government to prohibit or regulate the bringing into and taking out of the State fruit plants.
18. Penalties.
19. Cognizance of offences.
20. Person exercising powers under this Act to be public servant.
21. Protection of persons acting in good faith.
22. Power to make rules.
23. Delegation of powers.
24. No compensation for suspension or cancellation of licence.
25. Repeal and savings.

**THE HIMACHAL PRADESH FRUIT NURSERIES REGISTRATION AND  
REGULATION BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**A**

**BILL**

*to consolidate and re-enact a law providing for the registration and regulation of fruit nurseries (including bud wood bank and tissue culture lab) in Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015. . . . .

Short title and commencement.

5 (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

Definitions.

10 (a) "Appellate Authority" means the Director of Horticulture Himachal Pradesh, appointed by the State Government;

(b) "bud wood bank" means earmarked progeny trees and fruit trees maintained for taking scion wood or any other propagule for further multiplication in the nursery;

15 (c) "competent authority" means an authority appointed by the State Government, by notification, to perform the functions under this Act;

- (d) "designated agency" for the purpose of sections 10, 13 and 16 means Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan;
- (e) "director" means the Director of Horticulture, Himachal Pradesh; 5
- (f) "hardened" means tissue culture raised plants adapted to outdoor conditions;
- (g) "farmer's variety" means a variety which has been cultivated and evolved by the farmer in his field;
- (h) "fruit nursery" means bud wood bank or propagation unit or tissue culture unit where plants are regularly propagated and sold for transplantation; 10
- (i) "inspecting officer" means any officer authorized by the Director of Horticulture, Himachal Pradesh for the purpose of inspection of fruit nurseries; 15
- (j) "notification" means a notification issued by the State Government and published in the Official Gazette;
- (k) "nurseryman" means any individual or agency engaged in the production and sale of plant material from the fruit nursery; 20
- (l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (m) "plant material" or "propagule" means any propagation material used in raising the plant and includes bud wood or scions, rootstocks, cuttings and seed etc.;

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(o) "rootstock" means the horticulture plant or part thereof on which any horticulture plant has been budded or grafted;

(p) "scion" or "bud wood" means the part of the plant which is used for grafting or budding a rootstock or a tree;

(q) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(r) "tissue culture" means propagation of identical clones from plant parts under aseptic conditions on culture medium in the laboratory.

3. (1) No person who possesses a fruit nursery shall engage in the production and sale of nursery plants or plant material without getting himself or his firm registered with the competent authority and without obtaining a licence in the prescribed form.

(2) Where a person has more than one bud wood bank or fruit nursery in different towns or villages within the State, he shall have to obtain a separate licence in respect of such bud wood bank or fruit nursery.

(3) Bud wood bank and Fruit Nurseries either conventional or tissue culture raised shall have to be registered with the competent authority and a licence shall have to be obtained in the prescribed form.

(4) No registered and licensed fruit nursery shall engage in the propagation of fruit crops except by using the plant material from the registered and licensed bud wood banks.



Application  
for grant or  
renewal of  
licence.

4. (1) Every application for a licence under section 3 shall be made to the competent authority in the prescribed form.

(2) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, if the competent authority is satisfied that -

(a) the fruit nursery is suitable for the proper propagation of fruit plants in respect of which the licence has been applied for; 5

(b) the applicant has necessary infrastructure and facilities to conduct or establish any such fruit nursery or any tissue culture raised hardened plant material; 10

(c) the applicant fulfils any other conditions notified by the competent authority in this behalf; and

(d) the applicant has paid the fee prescribed for the licence and has also furnished the prescribed security, if any, it shall grant a licence to the applicant for conducting or establishing a bud wood bank and or fruit nursery in accordance with the terms and conditions of the licence and the provisions of this Act and the rules made thereunder. 15

(3) Every licence granted under this section shall be valid for a period of five years from the date of its issue and it may be renewed from time to time on payment of such fee and in such manner and on fulfilment of such conditions as may be prescribed. 20

(4) If the competent authority refuses to grant or renew a licence under this section, it shall give a reasonable opportunity of being heard and record its reasons for such refusal in writing and communicate a copy of the order to the applicant. 25

5. (1) The competent authority may suspend or cancel any licence granted or renewed under section 4 if, – Suspension or  
cancellation  
of licence.

- 5
- (a) the licensee has been adjudicated an insolvent; or
- (b) the licensee has parted, in whole or in part, with his control over the bud wood bank or fruit nursery; or
- (c) the licensee has ceased to conduct or possess such bud wood bank or fruit nursery; or
- 10 (d) the licensee in the opinion of such authority is not able to conduct or possess such bud wood bank or fruit nursery; or
- (e) the licensee has contravened, or failed to comply with any of the terms of the licence or any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or
- 15 (f) the licensee has refused to surrender or produce his licence or the registers and other record required to be maintained under this Act or the rules made thereunder to the competent authority or any person authorized by it.

20 (2) Before passing an order under sub-section (1), the competent authority shall intimate to the licensee the grounds on which it proposes to take action and give him a reasonable opportunity of being heard.

(3) The competent authority may suspend the licence during pendency of action to be taken under sub-section (1).

(4) A copy of every order passed under this section shall be communicated to the licensee.

Return of  
licence.

6. (1) On the expiry of his licence or on the receipt of an order suspending or cancelling it, the licensee shall return the licence to the competent authority:

Provided that such authority may, after such expiration, suspension or cancellation, give such reasonable time as it thinks fit to the nurseryman to enable him to wind up his fruit nursery.

5

(2) If the nurseryman does not stop nursery production work within the stipulated period, the plant material produced in the fruit nursery or any hardened tissue culture raised plant material shall be destroyed by the inspecting officer at the cost of nurseryman and the expenditure so incurred shall be recovered from him as arrears of land revenue in addition to penalty under section 18 of the Act.

10

Issue of  
duplicate  
licence.

7. If a licence granted or renewed under section 4 is lost, destroyed, mutilated or damaged, the competent authority shall, on application and payment of prescribed fee, issue a duplicate licence.

15

Appeal.

8. (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority, refusing the grant or renewal of licence under this Act may appeal to the Appellate Authority in such form and in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that the Appellate Authority may, admit an appeal after the expiry of prescribed period, if there are sufficient reasons for not filing the appeal within time.

20

(2) The Appellate Authority may after hearing the appellant, pass such orders on the appeal as it thinks fit.

(3) An order passed under this section shall, subject to the provisions of section 9, be final.

25

9. (1) The State Government may, on the application of any person <sup>Revision.</sup> aggrieved by an order passed under this Act, at any time, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order, call for and examine the record of the case and may pass such orders thereon as it thinks fit:

5            Provided that the State Government shall not exercise the powers under this section, in respect of an order against which an appeal preferred under section 8 is pending or in case an appeal has not been preferred, before the expiry of the time limit thereof.

(2) An order passed under this section shall be final.

10            10. (1) A registered nurseryman or firm of nurserymen shall utilize <sup>Plant material to be utilized for propagation.</sup> only such plant material in respect of scion and rootstock, as may be recommended from time to time by the designated agency.

15            (2) A registered nurseryman or firm of nurserymen shall have and maintain bud wood bank of good pedigree fruit trees and their number should justify the plants propagated subject to the minimum limit of twenty-five trees per variety.

(3) Every registered nurseryman or firm of nurserymen shall display a sign board in his nursery showing the following information:-

- 20            (i) Name of the Nursery;
- (ii) License Number; and
- (iii) Validity period.

11. A registered nurseryman shall maintain a complete record of <sup>Record and its inspection.</sup> the origin or source of the plant material and shall produce the record for inspection on demand by the Director or an inspecting officer.

Plants and trees to be kept free from pests and diseases.

12. The nursery plot, tissue culture unit or bud wood bank used for the production of nursery plants and trees shall be kept free from such insects and diseases as may be prescribed.

Inspection of nurseries.

13. (1) The inspecting officer may inspect the nurseries from time to time, to ensure that the nursery plots, tissue culture unit and bud wood bank used for the production of nursery plants are kept free from insects, pests and diseases. He may direct the nurseryman to send suspected plant samples for identification of pests to a designated agency as well as to remove and destroy infected or infested plant material within the prescribed period.

5

(2) The nurseryman shall, on receipt of such direction in writing, send the suspected plant material to the designated agency for identification of pests and remove and destroy such plants or trees within the prescribed period, failing which the inspecting officer shall cause the same to be sent for identification of pests and removed and destroyed at the cost of the nurseryman and the expenditure so incurred shall be recovered from the nurseryman as a arrears of land revenue.

10

15

(3) If the nurseryman fails to follow the directions given by the inspecting officer under sub-sections (1) and (2), he shall also be liable to be punished under section 18 of the Act.

Packages and their labelling.

14. (1) The package or container containing the plant material shall bear the name and registration number of the nurseryman alongwith his seal and shall be distinctly labeled to designate the kind and variety sold.

20

(2) In case the package or container contains plants of more than one kind or variety, each individual plant shall be labeled.

(3) The name of rootstock and scion shall be mentioned on the label.

25

15. (1) Each nurseryman shall maintain a register in the prescribed <sup>Maintenance of register.</sup> form containing complete information regarding the plant material sold, name and complete address of the purchaser that may be verified by the inspecting officer.

5 (2) The register shall be maintained by the nurseryman for at least ten years after the date of the conclusion of the transaction.

16. (1) The varieties propagated for sale must be true to type and <sup>Varieties to be propagated for sale.</sup> shall be those recommended or approved by the Department of Horticulture, Himachal Pradesh or designated agency.

10 (2) If a certain variety or varieties imported or intended for propagation, the full particulars of such varieties shall be shown to and approved by the Director or an officer authorized by him in this behalf before sale of the variety in question.

15 (3) No registered nurseryman or farmer shall utilize the propagating material of the farmer's variety, evolved by the farmer at his own estate, if it has not been recommended by the designated agency and duly registered with the Registrar General under the Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act, 2001.

20 (4) If the nurseryman does not follow the directions given under sub-sections(1), (2) or (3), he shall be liable to be punished under section 18 of the Act.

(5) The seller shall produce original copy of nursery licence as and when asked by the inspecting officer. In case of suspicion, the inspecting officer may confiscate the plant material.

Power of State Government to prohibit or regulate the bringing into and taking out of the State fruit plants.

17. (1) The State Government may, by notification, prohibit or regulate, subject to such restrictions and conditions as it may impose, the bringing into, or and taking out of the State, otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government, or transport within the State any plant material of unknown pedigree or affected by any infectious or contagious disease or pest as declared by the competent authority.

5

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section(1), shall be liable to be punished under section 18 of the Act, and the inspecting officer may confiscate and destroy suspected plant material. For this purpose the inspecting officer may seek police assistance.

10

Penalties.

18. (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder, or attempts to contravene or abets the contravention of any such provision or rule, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

15

(2) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

20

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be

25

guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) The State Government may authorise the competent authority to compound certain offences under the Act which may be notified by the State Government, subject to condition that compounding fee shall not be less than thirty thousand rupees.

**Explanation**—for the purposes of this section—

(a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “Director”, in relation to a firm, is a partner in the firm.

19. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon complaint in writing, made by the competent authority or any other officer authorized in this behalf by the competent authority, by general or special order or by a Police Officer not below the rank of Assistant-Sub-Inspector.

Cognizance  
of offences.

(2) No Court subordinate to that of the Magistrate of 1<sup>st</sup> Class shall try any offence punishable under this Act.

20. All persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Person  
exercising  
powers under  
this Act to be  
public  
servant.

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules or orders made thereunder.

Protection  
of persons  
acting in  
good faith.



Power to  
make rules.

22. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for –

- (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed; 5
- (b) the condition to be inserted in licences to be granted to nurseryman and the form of such applications and licences;
- (c) the procedure to be followed by competent authority in the exercise of its functions under this Act; 10
- (d) the register, books of accounts and records to be maintained by licensees and the manner in which and the period for which they shall be maintained;
- (e) the circumstances in which security may be required from licensees and the security furnished by them may be forfeited and the manner in which any sum falling due as a result of such forfeiture may be recovered; 15
- (f) the efficient conduct for maintenance and development of the bud wood bank and/or the fruit nurseries;
- (g) the detection, inspection, certification, method of transport or destruction of horticulture plant material in respect of which a notification has been issued under section 17 or any article which may have been in contact or proximity thereto and the regulation of the powers and duties of the officers who may be appointed in this behalf; 20  
25

- (h) the procedure to be followed in appeals/ revisions under sections 8 and 9 and limitation thereof;
- (i) to prescribe pests, diseases and insects of which the nursery plant materials are required to be kept free; and
- (j) the procedure to be followed in conducting inspections of the nurseries and bud wood banks.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is to be laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

23. The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate to any officer or authority subordinate to it all or any of its powers under this Act, except the power to make rules.

Delegation of powers.

24. Where any licence is suspended or cancelled under this Act, the licensee shall not be entitled to any compensation thereof, nor shall he be entitled to the refund of any fee paid by him for the licence.

No compensation for suspension or cancellation of licence.

25. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Act, 1973 is hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that anything done or any action taken (including any licence issued, nursery registered, notification, order or direction issued, any rules made, proceedings commenced or continued) under the Act so repealed shall be deemed to have been issued, done or taken under the corresponding provisions of this Act.

*Widya*  
 Authenticated  
 Widya Stokes  
 Hon'ble IPH & Horticulture/I.T. Minister  
 Himachal Pradesh, Shimla - 171002

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide for the Registration of Fruit Nurseries in Himachal Pradesh an Act namely, the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Act, 1973 was enacted. With the passage of time and advancement of technologies in the field of Horticulture and as a result of introduction of latest techniques, important varieties of fruit nurseries and varieties in the field, it has been observed that the existing Act has lost its importance and required to be re-enacted with comprehensive changes with a view to ensure production and distribution of quality, healthy and disease free planting material to the farmers of the State and also to increase productivity of fruit. Thus, it has been decided to repeal the existing Act and to re-enact a comprehensive legislation with the following objectives:—

- (i) to make provision in the Act for Registration of bud wood bank, Tissue Culture Lab besides fruit nursery;
- (ii) to have provisions for penalties in case of the nurseries not adhering the provisions of Act;
- (iii) to make certification mandatory & also penalties to be introduced to ensure quality;
- (iv) to keep check over the un-authorized import and export of planting material;
- (v) to make specific provision with regard to the court which shall try offences punishable under the Act;
- (vi) to ensure supply of best quality disease free planting material to the fruit growers in the State; and
- (vii) to have provision for inspection of nursery and confiscation and destruction of material and plants not conforming to the quality regulation of the nurseries in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(VIDYA STOKES)**  
*Minister-in-Charge.*

*Authenticated*

*Vidya*

Vidya Stokes  
Hon'ble IPH & Horticulture/I.T. Minister  
Himachal Pradesh, Shimla - 171002

SHIMLA:  
The

, 2015.

**FINANCE MEMORANDUM**

—Nil—

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 22 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

DR. HARDEY SINGH  
SECRETARY

**THE HIMACHAL PRADESH FRUIT NURSERIES REGISTRATION AND  
REGULATION BILL, 2015**

A

**BILL**

to consolidate and re-enact a law providing for the registration and regulation of fruit nurseries (including bud wood bank and tissue culture lab) in Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

**(VIDYA STOKES)**  
*Minister-in-Charge.*

*Authenticated*  
*Vidya Stokes*

Vidya Stokes  
Hon'ble IPH & Horticulture/I.T. Minister  
Himachal Pradesh, Shimla - 171002

**(DR. BALDEV SINGH)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA :  
The , 2015.

THE HON'BLE JUDGE IN CHARGE OF THE COURT

IN MATTER OF

STATE OF HIMACHAL PRADESH

*[Handwritten signature]*

FOR THE PLAINTIFF

DATE